

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 की कंडिका-13 (2) के प्रावधान के आलोक में विभागीय क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के स्तर पर वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों के प्रोन्नति पर विचार करने के लिए निम्न रूप में विभागीय स्तर से प्रोन्नति समिति का गठन किया जाता है -

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| (1) संबंधित परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता   | - | पदेन अध्यक्ष    |
| (2) सचिव प्रावैधिकी  | - | पदेन सदस्य सचिव |
| (3) संबंधित मुख्य अभियंता के अधीन कार्यरत कोई एक अधीक्षण अभियंता स्तर के क्षेत्रीय पदाधिकारी   | - | सदस्य           |
| (4) संबंधित मुख्य अभियंता के अधीनस्थ अनु0 जाति/अनु0 जनजाति श्रेणी के कोई एक पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता से अन्युन न हो)                     | - | सदस्य           |
| (5) संबंधित मुख्य अभियंता के अधीनस्थ अल्पसंख्यक समुदाय (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख) में से कोई एक पदाधिकारी । (कार्यपालक अभियंता से अन्युन न हो) | - | सदस्य           |

नोट- क्रमांक 3,4 एवं 5 में वर्णित सदस्यों का चयन संबंधित प्रक्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा किया जाएगा ।

2. उक्त प्रोन्नति समिति प्रक्षेत्रीय मुख्य अभियंता के अधीन कार्यरत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मियों को प्रोन्नति संबंधी मामलों पर नियमानुसार विचार करते हुए निर्णय लेगी ।

प्रोन्नति समिति के गठन पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(श्यामानन्द झा)


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- 03/स्था0-06(विविध)-02/2015

786

पटना, दिनांक- 14.7.16

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
14.07.16  
(श्यामानन्द झा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

